JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD

आर.ई.ओ–121

क्रमांक प्रनि/जोविविनिलि/अनु.–पीपीएम/पत्रा.सामान्य/प्रे.स. 427 जोधपुर दिनांक 20/5/06.

आदेश

किसानों को राहत देने एवं कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इसमें निहित कुछ बिन्दुओं में बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुये दिनांक 20 व 24 अप्रेल 06 को आयोजित 93वीं बैठक में संशोधित निर्णय निम्नुनसार लिये गये है :

बिन्दु सं.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.6	अधीक्षण अभियन्ता आगामी तीन माह में उपलब्ध होने वाले सामान के आधार पर प्रत्येक सहायक अभियन्ता को सामान्य एंव अन्य कृषि श्रेणियों के मांग पत्र की संख्या सूचित कर, मांग पत्र जारी करने हेतु निर्देश जारी करेगें।	अधीक्षण अभियन्ता आगामी 3 माह में उपलब्ध होने वाले सामान के आधार पर प्रत्येक सहायक अभियन्ता को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या के अनुरूप सामान का आंवटन करेगें तथा उसी के अनुसार सामान्य व अन्य कृषि श्रेणियों के मांग पत्र जारी करने की संख्या निर्धारित कर निर्देश देगें।
4.3	यह स्वीकृति से पूर्व दिनांक/माहवार प्राथमिकता क्रम को सुनिश्चित करें।	सहायक अभियन्ता तकमीना स्वीकृत करने से पूर्व उपखण्डवार प्राथमिकता क्रम को सुनिश्चित करेगें।
5.1	उपभोक्ता जब सहायक अभियन्ता कार्यालय में "एल फार्म" प्रस्तुत करें तो 10 रूपये जमा करके एल फार्म प्राप्ति की रसीद आवेदक को दी जाये। सहायक अभियन्ता कार्यालय में कृषि कनेक्शन हेतु "एल फार्म" प्राप्ति का पूरा रिकार्ड रखा जाये।	आवेदक जब सहायक अभियन्ता कार्यालय मे "एल फार्म" प्रस्तुत करें तो 10 रूपये जमा करने "एल फार्म" प्राप्ति की रसीद आवेदक को दी जाये। सहायक अभियन्ता कार्यालय में कृषि कनेक्शन हेतु "एल फार्म" प्राप्ति का पूरा रिकार्ड रखा जावें। सहायक अभियन्ता जब भी कार्यालय में उपलब्ध न हो तब कनिष्ठ अभियन्ता या सहायक राजस्व अधिकारी "एल फार्म" के पेटे 10/– रूपये जमा करवाने हेतु जमा कराने के आदेश देने के लिये अधिकृत किये जाते है।

बिन्दु सं.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
6.2	सहायक अभियन्ता रा समस्त श्रेणियों के मांग पत्र ा एवं "एल फार्म" प्राप्त होने तिथि के अनुसार जो कृषि नेक्शन पूर्व स्थापित सब–स्टेशन सीधी एल. टी. लाईन डालकर री किये जा सकते हो, ऐसे कनेनों को नये ट्रांसफार्मर के स्थापिहोने पर जारी होने वाले कनेक्शन पर वरीयता (ओवर राइडिंग प्रायी) दी जा कर कनेक्शन के कार्य उश जारी किये जायेगें।	इस प्रावधान को हटाया जाता है।
6.3	ठसी प्रकार सहायकअभियन्ता द्वारा कार्य आदेश जारी रने की क्रमवार सूची भी सूचना ट पर लागाई जावेगी तथा इस प्रति संबंधित अधिशाषी अभियन व क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारीको प्रेषित की जावें।	सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने की क्रमवार सूची भी सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी तथा इसकी प्रति सम्बधित अधिशाषी अभियन्ता व क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जावे। सहायक अभियन्ता क्रमवार सूची के क्रम के अनुसार ही लगने वाले सामान को जारी करेगा।
8.3	प्रायः यह देखने आया है कि वृत के सहायक भण्र नियन्त्रक से प्राप्त सामान का द्राज उपखण्ड के स्टॉक रजिस्टर नहीं किया जाता है तथा सामान कसीधे ही आवेदक व कनिष्ठ अभिया को जारी कर दिया जाता है। प्रथा को तुरन्त प्रभाव से रोक देया जावे तथा रजिस्टर में बिना न्द्राज के कोई भी सामान जारी नहींकेया जावें।	प्रायः यह देखने में आया है कि वृत के सहायक भण्डार नियन्त्रक से प्राप्त सामान का इन्द्राज उपखण्ड के स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया जाता है तथा सामान को सीधे ही आवेदक व कनिष्ठ अभियन्ता को जारी कर दिया जाता है। इस प्रथा को तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जावे तथा रजिस्टर में बिना इन्द्राज के कोई भी सामान जारी नहीं किया जावें। जिन कृषि आवेदकों को कनेक्शन हेतु क्रमवार सामान जारी कर दिया गया हो, उनकी सूची भी नोटिस बोर्ड पर लगाई जावें।

यह आदेश तुरन्त भाव से लागू होगें।

(एच.एस. देवड़ा)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर